बताया था कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिल-मालिकों की तरफ किसानों का लगभग पचास करोड़ रुपया बकाया है। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी किसानों का बहुत ज्यादा रुपया बकाया है। चीनी की फैक्टरियों की आर्थिक हालत बहुत खराब और दयनीय है और अब सरकार द्वारा उनकी व्यवस्था किये जाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह गया है। जब चीनी उद्योग पर इतना भारी संकट है, फैक्टरी मालिक मनमाने तौर पर काम करते हैं। किसानों और मजदूरों को लम्बे समय तक पेमेंट नहीं करते हैं यहां तक कि प्राविडेंट फंड की रकम भी अपने निजी उपयोग में लाते हैं, और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वह चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे या न करे। श्री वाजपेयी जी ने बताया है कि महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री अच्छे ढंग से चल रही है। वहां शुगर इंडस्ट्रीज प्रायः सहकारिता के आधार पर चल रही है। क्या सरकार उस दिशा में विचार करने जा रही है, या, जैसा कि मंत्री महोदय ने 2 अप्रैल को अपने उत्तर में बताया था, केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकारों को ठीक से निर्देश देकर स्थिति सुधारेगी। किन्तु केन्द्र सरकार डायरेक्टिव नहीं दे पाती है, क्योंकि सरकार का वर्तमान कानून बिल्कुल बेकार है। सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करे अन्यथा किसान और मजदूर इसी प्रकार पीड़ित होते रहेंगे, जिस प्रकार कि वे आज हैं? आज भी मिल-मालिकों पर किसानों और मजदूरों का करोड़ों रुपया बकाया है और वे मनमाने तौर पर काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रीयकरण के अलावा स्थिति सुधारने के लिए और कौनसे कदम उठा रही है।

श्री शेर सिंह: मैं मानता हूं कि बहुत सी मिलों के मालिकों ने किसानों के गन्ने का पैसा अभी तक नहीं दिया है और सारे भारत में वह रकम कोई पचास करोड़ रु० के करीब है। खाली उत्तर प्रदेश में वह रकम 19, 20 करोड़ के करीब बनती है। हमने उसके लिए कदम भी उठाये हैं। जैसा कि मैंने एक प्रश्न के अपने उत्तर में पहले कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छः मिलों को आक्शन करने का हुक्म दिया है, ताकि किसानों को पैसा दिया जा सके। इस बारे में जितने भी उचित कदम हो सकते हैं, वे हम उठा रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकरण की नीति पर विचार करना है। यह प्रश्न कमीशन के सामने है। वह इन सब बातों को सोच कर हमारे सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

---

12. 16 hrs.

AKREST OF MEMBERS

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received the following telegram, dated the 26th June, 1971, from the Sub-divisional Officer, Patna:

> "Shri Ishwar Chaudhry, Member, Lok Sabha, was arrested on the 25th June, 1971, under Section 143, Indian Penal Code and Section 128, Indian Railways Act."

I have also to inform the House that I have received the following wireless message from the Director, Government Railway Police, Bhopal, dated the 26th June, 1971:—

> "Shri B. S. Chowhan, Member, Lok Sabha, has been arrested on the 26th June, 1971, at 17.00 hours at Railway Station Bhopal under Sections 128/120 Railways Act. He has been remanded to judicial custody and is at present in District Jail, Bhopal."

12.17 hrs

ELECTION TO COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): I beg to move:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate a member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of this House for the unexpired portion of the term of the Committee